

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 जुलाई 2017—आषाढ 31, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2017

सूचना

क्र. 3496-वि.यो. 465-नग्रानि-2017.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जावरा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 22 जुलाई 2017 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश
2. जिला कलेक्टर, रतलाम, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, जावरा, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम, मध्यप्रदेश.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रतलाम में, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

संदीप यादव, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. एफ-3-59-2017-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अधिसूचना क्रमांक 3496-वि यो 465-नग्रानि-2017, दिनांक 12 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 12th July 2017

NOTICE

No. 3496-MPS-465-TCP-2017.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Jaora Planning area has been published on 22nd July 2017 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available, during office hours, for inspection at office of:—

1. Commissioner, Ujjain Division, Ujjain, Madhya Pradesh
2. Collector, District- Ratlam, Madhya Pradesh
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika, Jaora, Madhya Pradesh
4. Deputy Director, Town and Country Planning, District Office Ratlam, Madhya Pradesh.

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Ratlam, before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

SANDEEP YADAV, Commissioner-cum-Director.